

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 अगस्त 2014—श्रावण 30, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्र. डी-15-10-2008-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, तथा इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2012, (जो कि राजपत्र में दिनांक 7 दिसम्बर 2012 को प्रकाशित हुई है) जिसकी कालावधि 31 जुलाई 2014 तक है, राज्य सरकार, एतद्वारा, इसकी कालावधि को 31 जुलाई 2015 तक बढ़ाया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्र. डी-15-58-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 21 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव,

Bhopal, the 21st August 2014

No. D-15-10-2008-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under the provisions of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), this Department's same numbered Notification dated 24th October 2012 (published in the State Gazette dated 7th December 2012) and which is effective till 31st July 2014, hereby, the State Government, extend its validity till 31st July 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K.TRIPATHI, Dy. Secy.